

उत्तराधिकार प्रकरण क्रमांक 05 / 2022
जयराम दास वि सुखदेव दास वगैरह
वास्ते-372 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम
अदम पैरवी में निरस्त दिनांक 25.01.2023

25.01.2023

समय 11 बजे

आवेदक अनुपस्थित, आवेदक की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता भी अनुपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 02,03,04,05 अनुपस्थित, पैरवी हेतु उनके अधिवक्ता भी अनुपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 01 एक पक्षीय

अनावेदक क्रमांक 06 आम जनता अर्निवाहित।

पुकार लगायी गयी।

प्रकरण कुछ देर पश्चात् मेरे समक्ष प्रस्तुत हों।

अस्पष्ट / सही

(श्रीमती छाया सिंह)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गरियाबंद

पुनश्च, समय-1.30 बजे

आवेदक अनुपस्थित, आवेदक की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता भी अनुपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 02,03,04,05 अनुपस्थित, पैरवी हेतु उनके अधिवक्ता भी अनुपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 01 एक पक्षीय

अनावेदक क्रमांक 06 आम जनता अर्निवाहित।

पुकार लगायी गयी।

प्रकरण कुछ देर पश्चात् मेरे समक्ष प्रस्तुत हों।

अस्पष्ट / सही

(श्रीमती छाया सिंह)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गरियाबंद

पुनश्च, समय-3.00 बजे

आवेदक अनुपस्थित, आवेदक की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता भी अनुपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 02,03,04,05 अनुपस्थित, पैरवी हेतु उनके अधिवक्ता भी अनुपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 01 एक पक्षीय

अनावेदक क्रमांक 06 आम जनता अर्निवाहित।

पुकार लगायी गयी।

प्रकरण कुछ देर पश्चात् मेरे समक्ष प्रस्तुत हों।

अस्पष्ट/सही

(श्रीमती छाया सिंह)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गरियाबंद

पुनश्च समय 5.00 बजे

आवेदक अनुपस्थित, आवेदक की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता भी अनुपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 02,03,04,05 अनुपस्थित, पैरवी हेतु उनके अधिवक्ता भी अनुपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 01 एक पक्षीय

अनावेदक क्रमांक 06 आम जनता अर्निवाहित।

पुकार लगायी गयी।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा दिनांक 06.10.2022 को धारा 372 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 हेतु हेतु अनावेदकगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

आज पेशी तिथि में न्यायालयीन समय 11.00 बजे, 1.30 बजे, 3.00 बजे तथा अब तक 5.00 बजे वादी की पुकार लगायी गयी, न तो पक्षकार उपस्थित हुए और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित हुए।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक की अनुपस्थिति उनकी प्रकरण में अरुचि को दर्शाता है। अतः व्य0प्र0सं0 के आदेश 09 नियम 08 के प्रावधान अनुरूप आवेदक की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में उक्त प्रकरण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त।

प्रकरण को सुव्यवस्थित कर अभिलेखागार, रायपुर भेजा तथा सी0आई0एस0 से निराकृत किया जावे।

अस्पष्ट/सही

(श्रीमती छाया सिंह)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गरियाबंद